Annexure -B केन्द्र एवं राज्य अन्य पिछडा वर्ग के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आ	विदक के परिवार के मुखिया जनाधार कार्ड :-				
2. জ	2. आवेदक का पूरा नाम : प्राथी का फोटो				
3. ज	3. जन्म तिथि : (पासपोर्ट साईज)				
4. f	नेवास का पूर्ण पता :				
	(क) वर्तमान	1			
	(ख) स्थाई				
7	क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* हाँ	नहीं			
3	यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्यजिलातहसील	पता			
5.	धर्म :	9			
6.	जाति :				
7.	उपजाति :				
8.	उपजीविका–वर्ग				
9. 10.	आवेदन केन्द्र अ.पि.वर्ग के लिये या राज्य पि.वर्ग के लिये किया जा रह अ.पि.व. की केन्द्र/राज्य सूची में जाति का क्रम संख्यांक :				
11.	आवेदक के पिता का नाम				
12.	आवेदक के माता का नाम :				
13.	माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम				
14.	आवेदक के पति का नाम				
15.	माता–पिता पति की प्रास्थिति				

		पिता	मा	ाता	पति		
[ক]	संवैधार्ग	नेक पद	34444444				
[ख]	पद ना	म		·······			
[ग]	सरकारी सेवायें						
			प्रिता	माता	पति		
	(i)	सेवा (केन्द्रीय / राज्य)	***************************************				
	(ii)	पद नाम					
	(iii)	(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित यदि कोई हो।					
	(iv)	पद पर नियुक्ति की त	तारीख				
	(v)	वर्ग / पद पर पदोन्नति	के समय				
		आयु (यदि लागू हो)					
[घ]	अन्तरर	ाष्ट्रीय संगठन उदाहरणाः	र्थ संयुक्त				
	राष्ट्र,	यूनीसेफ, विश्व स्वास्थय	संगठन में				
	नियो	जन		at			
	(i)	संगठन का नाम			,		
	(ii)	पद नाम					
	(iii)	सेवा की कालावधि					
		(दिनांक	से	तक)			
	(111)	मृत्यु / स्थाई अक्षमता ((यदि लागू नहीं हो	। तो छोड़ दीजिए)			
	(iv)	मृत्यु / अधिकारी की स	थायी अक्षमता की	तारीख जब से वह	ावा के		
		अयोग्य हो गया हो।					
	(v)	स्थायी अक्षमता का ब्यं	गौरा				

	(1)	संगठन का नाम
	(ii)	पद का नाम
	(iii)	पद पर नियुक्ति की तारीख
[च]	पैरा	मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल
	(इसमे	ं सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें)
	(i)	पद नाम
	(ii)	वेतनमान
[छ]	व्यवस	गय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं
	और	व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।
	(i)	उप–जीविका / वृत्ति
[ज]	सम्पर्ि	त्त के स्वामी
[झ]		कृषि जोते (माता, पिता और अव्यस्क बच्चों के स्वामीत्व में)
	(1)	अधस्थिति
	(2)	जोत का आकार
	(3)	क – सिंचित
		ख – सिंचित भूमि का प्रकार
		1.
		2.
		3.
		ग – असिंचित।
		 राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

[3]

- 5. यदि जोत सिंचित /असिंचित दोनों प्रकार की है तो—राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में संपरिवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।
- 6. 4, 5 के अनुसार कानून अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत
- ग (1) बागान
 - (I) फसल/फल
 - (II) अवस्थिति
 - (III) बागान का क्षेत्र
- [अ] (II) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और / या भवन
 - (I) सम्पत्ति की अवस्थिति।
 - (II) सम्पत्ति का ब्यौरा
 - (III) उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।
- [ब] आय/धन
 - (I) समस्त स्त्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए)
 - (II) क्या करदाता है (हां / नहीं) () यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जावे।
 - (III) क्या धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आता है (हां / नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए) अन्य कोई अभ्युक्तियां।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उर्पयुक्त विशिष्ठीयां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमी लियर का नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिश्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति रद्द करणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और या नियमों के उपबन्धित की जायें।

भवदीय.

रधान

[स]

दा

दिनांक

अभ्यार्थी के हस्ताक्षर

(i) गवार	5 [*] :
#	पुत्र / पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम पद
	रत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि, पार्थी / प्रार्थीया पुत्र / पुत्री श्री
	को भली प्रकार से जानता हूं ये अन्य पिछडा वर्ग की उपजाति
	हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।
	(हस्ताक्षर गवाह / उत्तरदायी व्यक्ति)
(ii) गवा	
200	पुत्र/ पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम पद
पर कार्य	रत हूं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि, म्रार्थी / प्रार्थीया पुत्र / पुत्री श्री
निवासी	को भली प्रकार से जानता हूं थे अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति
	हैं, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।
	(हस्ताक्षर गवाह / उत्तरदायी व्यक्ति)
	शपथ-पत्र
Ħ	पुत्र / पुत्री श्रीनिवासीगांव / शहरतहसीलजिला
राजस्था	न का / की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूं कि :
(1) 単マ	ाजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकत सची में सम्मिलित जाति
(2) 节 で	उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
(3)मैं औ	र मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
(4) यह	कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।
	हस्ताक्षर शपथग्रहिता
जाति	की पुष्टि हेतु प्रथमतयाः राजस्व रिकार्ड यथा मूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेंज ऑनलाईन उपलब्ध नहीं
Onto	होने की स्थिति में हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट
श्रीमान	मुताबिक जाँचा, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री
	निवासीके / की है। यह अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति
	हैं। प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर
दिनांक	
	हस्ताक्षर पटवारी
	हलका नं
	तहसील
	उपखण्ड
	जिला
	आवेदक की नावीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिग्रे गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है)
2.	स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे- प्रथमतया राजस्व रिकार्ड यथा भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक
	हो तो नगरपालिका / विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास / ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति यदि ऑन लाईन नहीं हो तो।
3.	आय प्रमाण पन्त्र / आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति यदि ऑनलाईन दस्तावेंज नहीं हो तो
	आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
	दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा- संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी-कर्मचारी/जिला
	प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी /महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर
6	पालिका अध्यक्ष / स्कूल के हैंड मास्टर / संबंधित पी.एच.सी. / सी.एच.सी. के डॉक्टर / बी.डी.ओ. / सहायक अभियन्ता पराना जाति प्रमाण पत्र की पति यदि ऑनलाईन नहीं हो तो